रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 1970/माघ 23, 1891
No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 1970/MAGHA 23, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February 1970

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by clause (1) article 299 of the Constitution and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 585 dated February 1, 1966, the President hereby directs that the following may be added as item No. 12 in Part IX-A (In case of the Ministry of Home Affairs):—

"12. Agreements, contracts and other instruments for assignment of study projects on behalf of the Ministry of Home Affairs to private organisations, institutions and universities on matters relating to problems concerning the Ministry of Home Affairs; by the Director, Research and Policy Division, Ministry of Home Affairs."

This notification issues with the concurrence of the Ministry of Law *vide* their u.o. No. 437/70/J, dated February 3, 1970.

[No. 24/2/70-NIC.]

J. M. LALVANI, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1970

सा० का० नि० 232.—संविधान के अनुच्छेद 299 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, विधि मंत्रालय की 1 फरवरी, 1966 की अधिसूचना सं० सा० सं० नि० 585 का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि (गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में) निम्नलिखित को खण्ड IX-क की मद सं० 12 के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"12. गृह मंत्रालय की ओर से निधी संगठनों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को गृह मंत्रालय से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में गृह मंत्रालय के अनुसंधान तथा नीति प्रभाग के निर्देशक द्वारा अध्ययन प्रायोजनाओं के दिए जाने के बारे में करार, संविदा तथा अन्य लिखत।"

यह अधिसूचना विधि मंत्रालय की 3 फरवरी, 1970 की अनौपचारिक टिप्पणी सं० 4 7/70-जे० द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

[सं० 24/2/70-एन०आई०सी०]

ज० म० सालवानी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970